सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

फरवरी, 2023

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण	1
2	मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय कार्यनिति का विवरण	7

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 केंद्र सरकार के घाटे और उसके द्वारा ऋण में मध्यावधिक काल में वहनीय स्तर तक कमी लाने के लिए विधायी फ्रेमवर्क की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत-आर्थिक सुस्थिरता में अंतरपीढ़ीगत साम्या सुनिश्चित की जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004, 5 जुलाई 2004 से लागू हो गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन फ्रेमवर्क में केन्द्र सरकार को यह अधिदेश दिया गया है कि यह राजकोषीय घाटे का 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करे। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केन्द्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक और केन्द्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करे।

आज की स्थिति में राजकोषीय घाटा,राजकोषीय समेकन के लिए एकमात्र प्रचालनात्मक लक्ष्य है। संशोधित अनुमान 2022-23 में सरकार ने वैश्विक झंझावातों के बावजूद अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह मुख्यतया जीडीपी में पुरजोर बढ़ोतरी, शानदार कर संग्रहण, और व्यय को बेहतर तरीके से लक्षित करने के कारण संभव हुआ है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में और उसके आगे व्यय की गुणवत्ता और राजकोषीय समेकन में सुधार लाने को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय पूंजी व्यय के साथ बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार राजकोषीय समेकन के मुख्य मार्ग पर चलना जारी रखेगी ताकि वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे का स्तर हासिल किया जा सके।

इस प्रलेख में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण दिए गए हैं। इन विवरणों में अर्थव्यवस्था की संवृद्धि संभावनाओं के आकलन के साथ-साथ कराधान, व्यय, बाजार उधारियों और अन्य देयताओं के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कार्यनीतियों को दर्शाया गया है। राजकोषीय मार्ग से और एफआरबीएम अधिनियम, 2003 द्वारा केन्द्र सरकार पर यथा-निर्दिष्ट अन्य दायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए विचलन का विवरण भी शामिल किया गया है। एफआरबीएम नीति विवरण एतद्द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

******

1. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2023-24

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के क्षीण पड़ने के बाद पुनरुत्थान के मार्ग पर थी कि फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष ने आगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जिंसों जैसे कि कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरकों, और गेहूं की कीमतों में तेजी से उछाल आया। परिणामतः, इसने मुद्रास्फीतिकारी दबावों को और बढ़ा दिया जो असमान मांग पुनःप्राप्ति, असंहत मौद्रिक नीति और कई उन्नत देशों में दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहनों के चलते पहले से दबाव झेल रहे थे। दुनियाभर में जिंसों की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के साथ-साथ आत्यन्तिक मौसमी परिस्थितियों तथा चीन की जीरो कोविड-19 नीति ने कई उभरती हुई मार्केट अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारी दबावों का सूत्रपात किया।

2. मुद्रास्फीतिकारी दबावों का मुकाबला करने के लिए दुनियाभर में अनेक केन्द्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और कीमत सुस्थिरता बनाए रखने के अपने अधिदेश के अनुसरण में अपने बांड क्रय कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया। इससे वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती देखने को मिली तथा इसके परिणामस्वरूप अधिकतर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का बहिर्प्रवाह पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले यूएस के बाजार में हुआ,जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा। यूएस डॉलर के सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर में वर्ष 2022 में, नवंबर तक 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई। अपेक्षाकृत अधिक मजबूत डॉलर और जिंसों की उच्चतर कीमतों का मतलब कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्चतर चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीतिकारी दबाव हुआ।

3. बढ़ी हुई उधारी लागत और अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव वैश्विक अर्थिक कार्यकलाप के एक से अधिक अग्रणी सूचकों में दिखना शुरू हो गया है। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई अब गिरकर सितंबर 2022 से 50 से कम के संकुचनकारी जोन में चला गया है और दिसंबर, 2022 में 30 महीने में सबसे न्यूनतम 48.6 पर बना हुआ है, जबकि वैश्विक कम्पोजिट पीएमआई, जो समग्र आर्थिक कार्यकलाप का एक मापक है, अगस्त 2022 से संकुचनकारी जोन में पड़ा हुआ है और दिसंबर 2022 में 48.2 पर बना हुआ है। प्रतिकूल वैश्विक घटनाक्रमों के कारण आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया है कि वैश्विक संवृद्धि 2021 के 6.2 प्रतिशत से धीमी होकर 2022 में 3.4 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत हो जाएगी (जनवरी 2023, वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक)

4. वैश्विक घटनाक्रमों ने भारत की संवृद्धि और समग्र वृहद-आर्थिक सुस्थिरता के प्रति अधोगामी जोखिम उत्पन्न किया। दुनिया के स्तर पर जिंसों की बढ़ती कीमतों और देश के कई भागों में अत्यधिक गर्मी और बेमौसमी बारिश जैसी आत्यन्तिक मौसमी स्थितियों ने भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को बहुत अधिक बना रखा है। खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की वहनीय रेंज से अधिक हो गई। यह ग्यारह महीनों के लिए लक्षित रेंज से बाहर बनी रही और नवंबर एवं दिसंबर 2022 में जाकर 6 प्रतिशत के लक्षित रेंज की ऊपरी उच्च सीमा से नीचे लौटी। यह आंशिक रूप से दुनिया के स्तर पर जिंसों की कीमतों के कम होने,सरकार द्वारा किए गए पूर्व-अधिकृत उपायों और भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीतिगत निर्णयों के कारण संभव हो पाया।

5. यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नियंत्रण बढ़ाने के परिणामस्वरूप भी भारत से पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्प्रवाह हुआ है जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है। परिणामतः, अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022 के बीच रुपए में अमरीकी डालर के प्रति 8.3 प्रतिशत का ह्रास हुआ। कई अन्य मुद्राओं ने भारतीय रुपए की तुलना में यूएस डॉलर के प्रति कहीं और अधिक मूल्य गंवाया। भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में कच्चे तेल, खाद्य तेल और उर्वरक,आदि की उच्च वैश्विक कीमतों के कारण और बढ़ा। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में निर्यात में धीमी बढ़ोतरी ने भी चालू खाता घाटा बढ़ाने में योगदान किया। पोर्टफोलियो निवेशों के बहिर्प्रवाह के परिणामस्वरूप जनवरी 2022 और दिसंबर 2022 के बीच विदेशी मुद्रा रिजर्व (फोरेक्स) में गिरावट देखने को मिली।

6. वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (अक्तूबर 2022,आईएमएफ) के आकलनों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है जो भारत की अंतर्निहित आर्थिक समुत्थान-शक्ति और सुदृढ़ वृहद आर्थिक मूलतत्वों का परिचायक है।

7. अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक बिखराव से, आंशिक रूप से अपने विशाल घरेलू बाजार और वैश्विक वैल्यू श्रृंखलाओं और कारोबारी प्रवाहों से अपेक्षाकृत अधिक असंहत रूप में एकीकृत होने के कारण,अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनी रही। परिणामतः, बाह्य बहिर्जात झटकों के बावजूद भारत की वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 9.7 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है। दूसरी तिमाही के विकास की रफ्तार वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में भी बरकरार रही है जैसा कि अक्तूबर-दिसंबर 2022 के दौरान हाइ-फ्रीक्वेंसी सूचकों (एचएफआई) के निष्पादन से इंगित होता है। दिसंबर 2022 में 57.8 का पीएमआई विनिर्माण,विनिर्माण क्षेत्र की सेहत में जबरदस्त सुधार को प्रतिबिंबित करता है जिसे अक्तूबर 2020 के बाद से सर्वश्रेष्ठ स्तर पर देखा गया, यह सुधार उत्पादन में वृद्धि होने और घरेलू खपत में तेजी आने के कारण संभव हुआ। नवंबर 2022 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 5.4 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ोतरी दर्ज हुई, इसमें कच्चे तेल, रिफाइनरी उत्पाद एवं प्राकृतिक गैस के सिवाय सभी उप-क्षेत्रों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली। नवंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक भी बढ़कर 5 महीने के सर्वाधिक 7.1 प्रतिशत तक पहुंच गया जो सभी उप-क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण संभव हुआ।

8. खपत में हुई तीव्र बढ़ोतरी सम्पर्क-प्रधान सेवाओं के लिए दमित मांग के द्वारा भी उत्पन्न हुई है। परिणामतः, वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में सेवा कार्यकलाप में संवृद्धि की रफ्तार बनी रही।

वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान पीएमआई सेवाओं में जबरदस्त विस्तार देखने को मिला जिसका श्रेय उत्पादन में बढ़ोतरी और समंजनशील मांग स्थितियों को दिया जा सकता है जिसके कारण सेल्स में सतत बढ़ोतरी हुई। रेल मालभाड़े और पत्तन ट्रैफिक में बढ़ोत्तरी की रफ्तार,घरेलू विमानन क्षेत्र में सतत बढ़ोतरी के साथ,जबरदस्त बनी हुई है। विनिर्माण और सेवा सेक्टरों में उच्चतर उत्पादन ने दिसंबर,2022 में कम्पोजिट पीएमआई को, इसके पिछले महीने के 56.7 से बढ़ाकर 59.4 कर दिया जो विस्तार की तेज गति का संकेत देता है।

9. जीएसटी संग्रहण, जो आर्थिक कार्यकलाप का और एक सूचक है,में शानदार बढ़ोतरी बनी हुई है। दिसंबर,2022 के दौरान जीएसटी संग्रहण वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर 15 प्रतिशत अधिक था और इसने लगातार नौ महीनों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार कर लिया। अन्य एचएफआई,जैसे कि यात्री ट्रैफिक,ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन,आदि भी उत्साहवर्धक घरेलू आर्थिक कार्यकलाप की तरफ इशारा करते हैं। घरेलू ऑटो सेल्स में दिसंबर 2022 में 5.2 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग स्थितियों में बेहतरी को इंगित करता है।

10. आरबीआई सेवाएं एवं अवसंरचना परिदृश्य सर्वेक्षण सेवा एवं अवसंरचना कारोबार के लिए 2022-23 की तीसरी एवं चौथी तिमाहियों में मांग स्थितियों में सुधार होने का संकेत देते हैं जैसा कि टर्नओवर, जॉब परिदृश्य और समग्र बिजनेस स्थिति पर उनकी आशावादी भावों से प्रतिबिंबित होता है। जबकि फर्मों (कम्पनियां) कमतर विक्रय मूल्यों की प्रत्याशा करती हैं,वहीं वे इनपुट लागत के दबाव से राहत मिलने की प्रत्याशा भी करती हैं जिससे आउटपुट ग्रोथ में तेजी आने की संभावना है।

आर्थिक वृद्धि

11. राष्ट्रीय आमदनी के प्रथम अग्रिम आकलन (एफएई),2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के वास्तविक जीडीपी के और सांकेतिक जीडीपी के क्रमशः 7 प्रतिशत (वर्ष-प्रति-वर्ष) और 15.4 प्रतिशत (वर्ष-प्रति-वर्ष) तक बढ़ने की परिकल्पना की गई है।

12. मांग पक्ष में, प्राइवेट खपत में निरंतर तेजी देखने को मिली है। इसके वित्त वर्ष 2022-23 में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 7.9 प्रतिशत था। सकल स्थायी पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) के, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों एवं उपायों, जिनसे कैपेक्स चक्र का पुनरुदमवन और गैर-सरकारी निवेश की बहुतायत हुई है, के सहारे वित्त वर्ष 2022-23 में 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान पूंजीगत व्यय के 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के साथ, निवेश गतिविधि को समर्थन देना जारी रखा है जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 63.4 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में गैर-सरकारी निवेश में भी तेजी आई है जो आंशिक रूप से बढ़े हुए पब्लिक कैपेक्स और कार्पोरेट कम्पनियों के तुलन-पत्रों के बेहतर होने और ऋण प्रवाह में परिणामी बढ़ोतरी होने के द्वारा उत्प्रेरित हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान पड़ने और एक अनिश्चित भू-राजनैतिक परिवेश के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यातों के 12.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में निर्यातों का हिस्सा (2011-12 की कीमतों पर) भी बढ़कर 22.7 प्रतिशत हो गया जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 21.5 प्रतिशत था।

13. आपूर्ति पक्ष में, वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि,वानिकी और मत्स्यपालन में 3.5 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि होने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के, रबी बुआई में अच्छी प्रगति होने (क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक क्षेत्रफल में बुआई की गई है) के सहारे, वृद्धिशील होने की संभावना बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान हुआ है। ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी होने का अंदाजा वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान घरेलू ट्रैक्टर, दुपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में हुई शानदार बढ़ोतरी से लगाया जा सकता है। उद्योग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2021-22 में 10.3 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 4.1 प्रतिशत की साधारण वृद्धि होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि के साथ जबरदस्त बढ़ोतरी देखे जाने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, यह बढ़ोतरी सम्पर्क-प्रधान सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं) में हुए पुनरुत्थान से संभव हुआ है, इस क्षेत्र में दमित मांग के मुक्त होने के कारण 13.7 प्रतिशत की सर्वाधिक बढ़ोतरी देखे जाने की संभावना है।

कृषि

14. भारतीय कृषि क्षेत्र के वित्त वर्ष 2022-23 में 3.5 प्रतिशत तक बढ़ने की परिकल्पना की गई है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों के निवल निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात बढ़कर अब तक का सर्वाधिक 50.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस क्षेत्र के शानदार निष्पादन के लिए किसान-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, और यांत्रिकीकरण के लिए दिए गए समर्थन के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि अवसंरचना निधि कायम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को श्रेय दिया जा सकता है।

15. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चतुर्थ अग्रिम आकलनों के अनुसार खाद्यान्नों और तिलहनों के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन,वर्ष 2022 में गेहूं कटाई सीजन के दौरान समय से पहले गर्म हवाओं के प्रकोप के कारण इसके उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा। इस वर्ष मानसून देर से आने और कम बारिश होने की वजह से खरीफ सीजन में धान के बुआई क्षेत्रफल में कमी भी देखने को मिली। 30 सितंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार धान के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर था जो 2021 की तुलना में कम है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 (सिर्फ खरीफ) के लिए प्रथम अग्रिम आकलनों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले पांच वर्षों के औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में अधिक है।

16. खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान 532.7 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल अधिप्राप्त किया गया। चालू वर्ष, केएमएस 2022-23 में 15 जनवरी, 2023 तक 399.4 एलएमटी चावल अधिप्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के दौरान 187.9 एलएमटी गेहूं अधिप्राप्त किया गया है जबकि आरएमएस 2021-22 के दौरान 433.4 एलएमटी गेहूं अधिप्राप्त किया गया था। प्रापण कम मात्रा में हुआ क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य, इसके प्रापण सीजन के दौरान, इसके एमएसपी की तुलना में अधिक था।

वाह्य क्षेत्र

17. वित्त वर्ष 2021-22 में 422 बिलियन अमरीकी डालर का अब तक का सर्वाधिक उच्च वार्षिक वस्तु निर्यात प्राप्त करने के बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष के उपरांत वैश्विक झंझावातों और वैश्विक व्यापार के धीमे पड़ने के परिणामी प्रभाव ने भारत की वस्तु निर्यात वृद्धि पर प्रतिकूल असर डाला। जिसमें 2022 में यह पाया गया कि वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है। मासिक वस्तु निर्यात अप्रैल, 2022 के 39.7 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर दिसम्बर, 2022 में 34.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। जैसे ही महामारी की रफ्तार धीमी हुई, भारत में घरेलू मांग में सुधार देखा गया जिसके परिणामस्वरूप आयात में काफी अधिक वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर 2022 के लिए वस्तु आयात 551.7 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 के दौरान यह 441.5 बिलियन अमरीकी डालर था। ऊर्जा की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के सहित ईंधन आयातों में बढ़ोत्तरी हुई जिनका कुल आयातों में हिस्सा बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर 2022 में 29.7 प्रतिशत हो गया जबकि यह पिछले वर्ष की संगत अवधि में 25.5 प्रतिशत था। हालांकि, अप्रैल-दिसम्बर 2021 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2022 में माल एवं सेवाओं के निर्यात में यूएस डॉलर के हिसाब से कुल मिलाकर लगभग 16% की वृद्धि दर्ज हुई (568.57 बिलियन अमरीकी डालर बनाम 489.69 बिलियन अमरीकी डालर)।

18. बढ़ते आयातों के साथ निर्यातों के मंद पड़ने के परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान तिजारती माल का व्यापार घाटा बढ़कर (-) 218.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि में यह (-)136.5 बिलियन अमरीकी डालर था। रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न झंझावातों, जिंसों की विश्व स्तर पर बढ़ी हुई कीमतों और निरंतर जारी आपूर्ति श्रृंखला दबावों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 36.4 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) हो गया जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में इसमें 9.7 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का घाटा हुआ था।

19. रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रतिक्षेपों और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा सक्रियतापूर्वक मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हुई जिसके कारण वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली की गई। हालांकि, ये निवेशक वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में एफपीआई के निवल अंतर्प्रवाह के साथ वापिस आए। पोर्टफोलियो निवेश में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में एक वर्ष पहले के 4.3 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्प्रवाह की तुलना में 8.1 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह दर्ज हुआ जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा रिजर्व घटकर 25.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 63.1 बिलियन अमरीकी डालर की अनुवृद्धि हुई थी। एफपीआई के बहिर्प्रवाह ने भी रुपए पर दबाव बनाया।

कीमतें

20. चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में मुद्रास्फीति में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल 2022 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। तदुपरांत, यह मामूली रूप से सुधरकर दिसम्बर 2022 में 5.7 प्रतिशत हो गई। बाद के महीनों में मुद्रास्फीति में सुधार होने का श्रेय अच्छे मानसून के साथ-साथ तत्परतापूर्वक किए गए सरकारी उपायों को दिया जा सकता है, इससे खाद्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हुई। केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों को थामने के लिए राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपाय किए। इन उपायों में पेट्रोल एवं डीजल पर आबकारी शुल्क में कमी करना, गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, चावल पर निर्यात शुल्क अधिरोपित करना, दालों पर निर्यात शुल्क एवं उपकर में कमी करना, प्रशुल्कों को युक्तिसंगत बनाना और खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा अधिरोपित करना, प्याज एवं दालों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना और विनिर्माण उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर निर्यात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, शामिल हैं। मौद्रिक नीति ने भी अच्छी तरह अपनी भूमिका अदा की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मई और दिसम्बर 2022 के बीच चल निधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो रेट को 225 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया।

21. मुद्रास्फीति में भी थोक स्तर पर कमी हुई और यह दिसम्बर 2022 में 4.95 प्रतिशत थी जो 22 महीने में मुद्रास्फीति की सबसे कम दर थी। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और ब्याज दर बढ़ोत्तरियों से जिंसों की कीमतों में गिरावट हुई जिसका थोक मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट लाने में काफी योगदान रहा। हालांकि, जबकि थोक स्तर पर मुद्रस्फीति में ह्रास हुआ, खुदरा कीमतों पर पहले की उच्च इनपुट लागत जोड़ी गई है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य (मुख्य) मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत की उच्च दर पर बनी हुई है और यह इस वर्ष पूर्व में देखे गए आपूर्ति पक्ष के झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को प्रतिबिम्बित करता है।

22. कीमतों में बढ़ोत्तरी की रफ्तार कम होने के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक के घर-परिवार मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि तीन माह और एक वर्ष आगे के लिए घर-परिवार की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं, तीन महीने एवं एक वर्ष आगे के लिए उत्तरदाता श्रेणियों में मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं के व्यापक आधार होने के नाते, कम हो जाने के साथ, 40 बीपीएस और 20 बीपीएस घटकर क्रमशः 10.4 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत हो गई हैं।

धन, बैंकिंग एवं पूंजी बाजार

23. वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए बरती गई मौद्रिक सख्ती के परिणामस्वरूप घरेलू वित्तीय स्थितियों में दिक्कत देखी गई जो मौद्रिक सकल राशियों की कमतर संवृद्धि और सरप्लस तरलता स्थितियों के मंदन से प्रतिबिम्बित हुई। सीआरआर को 50 बीपीएस से बढ़ाने के भारतीय रिजर्व बैंक के कदम के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से 87,000 करोड़ रुपए जितनी राशि की प्राथमिक तरलता वापिस ले ली गई। 30 दिसम्बर 2022 की स्थिति के अनुसार रिजर्व मनी में वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर 10.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले वर्ष यह 14.5 प्रतिशत था। संघटक पक्ष से करेंसी संचलन में बढ़ोतरी सामान्यतया उन्हीं स्तरों पर स्थिर बनी रहीं जो कोविड-19 के बाद देखी गई थीं।

24. मौद्रिक नीति संचरण अच्छी तरह चल रहा है क्योंकि पॉलिसी दरों में वृद्धि के उपरांत उधारी और जमा दरों में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान बाह्य बेंचमार्क आधारित उधारी दर और फंड आधारित उधारी दर की 1-वर्षीय माध्य

सीमांत लागत (एमसीएलआर) क्रमशः 225 बीपीएस और 115 बीपीएस बढ़ी है। जमा पक्ष में, वित्त वर्ष 2022-23 (नवंबर 2022 तक) में बकाया रुपया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर में 59 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई है।

25. 2020 और 2021 के दौरान धीमा पड़े रहने के बाद 10-वर्षीय सरकारी बांड पर लब्धियों में वृद्धि हुई। भर्तरत औसत लब्धि में तीव्र वृद्धि कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, प्रमुख केंद्रीय बैंकों के सख्त रवैये, वैश्विक बांड लब्धियों में दिक्कत होने और रुपए पर दबाव से उत्पन्न घरेलू बांड मार्केट अस्थिरता को प्रतिबिम्बित करती है। 10-वर्षीय सरकारी बांड पर मासिक औसत लब्धि जून 2022 में अधिकतम 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद दिसम्बर 2022 में 7.3 प्रतिशत पर टिकी थी। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दर वृद्धियों की गति में कमी लाने और ह्रासमान घरेलू मुद्रास्फीति दर के कारण नवंबर और दिसम्बर 2022 में लब्धियों में मामूली गिरावट हुई।

26. जबकि दुनिया में मुद्रा के प्रसार में रुकावट होने के चक्र ने वैश्विक परिदृश्य में निराशाजनक योगदान किया है, वहीं ऋण के लिए घरेलू चाहत में तेजी देखी जा रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नॉन-फूड क्रेडिट ऑफटेक अप्रैल 2022 से दोहरे अंकों में बढ़ रहा है और यह बढ़ोतरी व्यापक स्तर पर है। नॉन-बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी) द्वारा संवितरित ऋण में भी बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय संस्थानों की उधार देने की क्षमता बढ़ाने में तुलनपत्र क्लीन-अप कवायद महत्वपूर्ण रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात गिरकर 5.0 हो गया है जो सात वर्ष में सबसे कम है, जबकि पूंजी के प्रति जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बहुत अच्छा 16.0 पर और 11.5 की विनायमक अपेक्षा से काफी अधिक पर बना हुआ है। एनबीएफसी की स्थिति में भी निरंतर सुधार होना जारी है।

27. वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक घटनाक्रमों से दुनिया भर में पूंजी बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। हालांकि, घरेलू पूंजी बाजारों में कुछ प्रोत्साहनपरक प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं। प्राथमिक इक्विटी बाजारों में, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के बढ़े हुए योगदानों के साथ, सभी सेग मेंटों से सहभागिता देखने को मिली, जबकि प्राथमिक प्राइवेट ऋण बाजारों में प्लेसमेंट और संसाधन जुटाने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी देखने को मिला। मई 2022 में केंद्र सरकार ने भारत के जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपने स्टेक को हल्का कर दिया और इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कर दिया, इस तरह एलआईसी के आईपीओ को भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ और वर्ष 2022 में दुनिया के स्तर पर छठा सबसे बड़ा आईपीओ बना दिया। जबकि निफ्टी 50 और एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स के द्वितीयक पूंजी बाजार सूचक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाहों में अस्थिरता के प्रति निरापद नहीं थे, फिर भी उन्होंने अप्रैल और दिसम्बर 2022 के बीच अपने समकक्षों के निष्पादन की तुलना में बेहतर निष्पादन किया। सूचकों ने अस्थिरता की घटती प्रवृत्ति दर्शाई है जैसा कि इस अवधि के दौरान भारत अस्थिरता सूचक (वीआईएक्स) द्वारा मापा गया है।

केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति

28. जबकि भारत ने तनावग्रस्त राजकोषीय स्थिति के साथ महामारी में प्रवेश किया, वही सरकार के विवेकपूर्ण एवं असंशोधित राजकोषीय रिस्पांस ने वर्तमान अनिश्चितताओं के बीच भी सुस्थिर सार्वजनिक वित्तीय स्थिति संभव बनायी। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जिसके महामारी वर्ष यानि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी के 9.2 प्रतिशत होने का आकलन किया गया था, वित्त वर्ष 2021-22 में सुधर कर जीडीपी का 6.7 प्रतिशत हो गया और बजट में वित्त वर्ष 2022-23 में इसके और सुधरकर जीडीपी के 6.4 प्रतिशत होने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी होना सरकार द्वारा परिकल्पित राजकोषीय संचलन मार्ग के अनुरूप है।

29. नवंबर 2022 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 58.9 प्रतिशत है जो इसी अवधि के दौरान बजट अनुमान के 104.6 प्रतिशत के पंचवर्षीय चल औसत से अपेक्षाकृत कम है। अप्रैल-नवंबर 2022 के लिए राजस्व घाटा पिछले वर्ष में 38.8 प्रतिशत के संगत आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान का 57.8 प्रतिशत है। महामारी प्रभावित वर्ष यानि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान धड़ाम से गिरने के बाद, राजस्व प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2021-22 में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई जो सभी प्रमुख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों (आबकारी शुल्क को छोड़कर) के संग्रहण में अत्यधिक बढ़ोतरी होने के कारण संभव हुई है। पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्ति में देखी गई उछाल चालू वर्ष में भी बनी हुई है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई, और राज्यों के नाम किए जाने के बाद केंद्र के प्रति निवल कर राजस्व में 7.9 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

30. वित्त वर्ष 2020-21 में संघ सरकार का कुल व्यय बढ़कर जीडीपी का 17.7 प्रतिशत हो गया, जो जीडीपी के 12.8 प्रतिशत के पिछले 5-वर्षीय औसत से अधिक है। सरकार ने अपने व्यय को अंशशोधित तरीके से बढ़ाने का व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। अनुवर्ती वर्ष, वित्त वर्ष 2021-22 में संघ सरकार का कुल व्यय जीडीपी का 16 प्रतिशत था और इसका वृहत्तर हिस्सा पूंजीगत व्यय के प्रति प्रोद्भूत हुआ था। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए अभूतपूर्व रूप से 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया था जिसमें से 59.6 प्रतिशत से अधिक अप्रैल से नवंबर 2022 तक खर्च हो चुका है। महामारी संबंधित समर्थन को समाप्त किए जाने के साथ संघ सरकार के राजस्व व्यय को महामारी वर्ष यानि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 15.6 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 13.4 प्रतिशत करके युक्तिसंगत बनाया गया है। यह संकुचन सबसिडी व्यय में कमी होने के कारण संभव हो पाया क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी से उबर गई। वित्त वर्ष 2022-23 में भू-राजनैतिक संघर्ष के अचानक घटित होने के कारण अति संवेदनशील लोगों की मदद करने और वृहद आर्थिक सुस्थिरता सुनिश्चित करने के निमित्त अधिक मात्रा में फूड एवं उर्वरक सबसिडी दी गई।

31. संशोधित अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय एवं राजस्व घाटा क्रमशः जीडीपी का 6.4 प्रतिशत और जीडीपी का 4.1 प्रतिशत रखा गया है।

विकास परिदृश्य

32. वित्त वर्ष 2023-24 में विकास संवृद्धि को ठोस घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में वृद्धि का अवलंब मिलेगा। विकास की वर्तमान प्रवृत्ति को एक से अधिक संरचनात्मक बदलावों जैसे कि आईबीसी और जीएसटी का सहारा मिलेगा जिन्होंने अर्थव्यवस्था की दक्षता और

पारदर्शिता बढ़ा दी है और वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर समनुपालन सुनिश्चित किया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के महामारी-पूर्व वर्षों के उलट कार्पोरेट एवं वित्तीय क्षेत्रों में सशक्त तुलन पत्र विकास के प्रति ठोस आधार मुहैया करते हैं। भारत का पब्लिक डिजिटल अवसंरचना विस्तार कम आमदनी वाले घर-परिवारों, सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के लिए तेजी से वित्तीय समावेशन, और अर्थव्यवस्था को तेजी से औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। ये दो कारक- तुलन पत्र की सुदृढ़ता और डिजिटल उन्नति- न केवल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी विकास प्रभेदक है।

33. इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की अभूतपूर्व नीतियों जैसे कि पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और पीएलआई स्कीमों के निष्पादन से न केवल अवसंरचनात्मक एवं विनिर्माण आधार सुदृढ़ होगा बल्कि इससे वैल्यू चेन में लागत में कमी आएगी। इससे संधारणीय आर्थिक विकास और बेहतर समुत्थान-शक्ति के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी।

34. सुस्थिरता एवं विकास के प्रति हाल-फिलहाल के अधोगामी जोखिम वैश्विक मुद्रास्फीतिकारी दबावों, मुश्किल होती वैश्विक वित्तीय स्थितियों, लंबे समय तक चलने वाले आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, वैश्विक व्यापार सुस्ती, आदि से उत्पन्न होते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था के तेजी से सामान्य होने पर जिंसों जैसे कच्चा तेल, औद्योगिक धातुओं और कोयला, आदि के लिए अधिक मांग उत्पन्न होगी। उससे इनपुट लागत बढ़ेगी और भारत का बाह्य घाटा और बढ़ेगा।

35. दूसरी ओर, यदि 2023 में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदीकारी प्रवृत्तियां बरकरार रहती हैं तो उससे मौद्रिक सख्ती पर रोक लगेगी और 6 प्रतिशत से कम की सुस्थिर घरेलू मुद्रास्फीति दर के बीच भारत में पूंजीगत प्रवाहों की वापसी होगी। उससे औद्योगिक एवं ऊर्जा से संबंधित माल जैसे कॉपर, लौह अयस्क, कोयला और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मंदीकारी प्रभाव पड़ेगा। यह विनिर्माण उद्यमों के लिए इनपुट लागत को कम करेगा, जिंदादिली में सुधार आएगा तथा गैर-सरकारी क्षेत्र निवेश को आगे और भी प्रोत्साहित करेगा।

36. विभिन्न प्रकार की अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, और एडीबी ने इस बात का अनुमान लगाया है कि 2023-24 में भारत 6-7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करेगा।

*****

वृहत आर्थिक ढ़ांचा विवरण
(आर्थिक प्रदर्शन एक नजर में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
भू-संपदा क्षेत्र					
1.	बाजार कीमतों पर जीडीपी (₹ हजार करोड़)@				
	(क) प्रचलित कीमतों पर	23664.6	27307.7	19.5	15.4
	(ख) वर्ष 2011-2012 की कीमतों पर	14735.5	15760.4	8.7	7.0
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)@@	127.6	134.6	17.6	5.5
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)^	137.2	153	12.7	11.5
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः संयुक्त (2012=100)^	162.9	174	5.2	6.8
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)$	20114.0	21859.3	11.4	8.7
6.	प्रचलित कीमतों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़ में	3281173	4397381.7	67.7	34
	(ख) अमरीकी डालर बिलियन में	441.5	551.7	68.5	25
7.	प्रचलित कीमतों पर निर्यात*				
	(क) ₹ करोड़	2266224.9	2648132	51.1	16.8
	(ख) अमरीकी डालर बिलियन में	305.04	332.76	51.8	9.1
8.	व्यापार संतुलन (बिलियन अमरीकी डालर)*	-136.45	-218.94	123.5	60.5
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	4598819	4654920#	9.0	1.2
	(ख) अमरीकी डालर मिलियन में	607309	562721#	5.3	-7.3
10.	चालू खाता शेष (अमरीकी डालर बिलियन में)#	-3.1	-54.5	-	-
सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)##					
1.	राजस्व प्राप्तियां	1358290	1423152	67.1	4.8
	सकल कर राजस्व	1541920	1780654	50.3	15.5
	कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	1135264	1224833	64.9	7.9
	कर-भिन्न	223026	198319	79.5	-11.1
2.	पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें से	716317	1019635	-34.5	42.3
	ऋणों की वसूली	11339	13052	-5.2	15.1
	अन्य प्राप्तियां	9364	28429	51.5	203.6
	उधार और अन्य देनदारियां	695614	978154	-35.3	40.6
3.	कुल व्यय	2074607	2442787	8.8	17.7
	(क) राजस्व व्यय	1800977	1995674	8.2	10.8
	(ख) पूंजीगत व्यय	273630	447113	13.5	63.4
5.	राजस्व घाटा	442687	572522	-48.1	29.3
7.	राजकोषीय घाटा	695614	978154	-35.3	40.6
8.	प्राथमिक घाटा	233841	432955	-66.2	85.1

@ *जीडीपी अप्रैल में मार्च 2021-22 अनंतिम अनुमान है और 2022-23 पहला अग्रिम अनुमान हैं।*

@@ *अप्रैल से नवम्बर*

^ *2022-23 के लिए अनंतिम और अप्रैल-नवंबर के आंकड़े*

* *सीमाशुल्क के आधार पर*

$ 30 दिसम्बर, 2022 को बकाया और वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन

\# *अप्रैल - सितंबर*

लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2022 के मासिक खातों के आंकड़े और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से नवंबर की वृद्धि के आधार पर ।

2. मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति कार्यनीति का विवरण

1. वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते समय देश में कोविड-19 की तीसरी लहर कम हो रही थी। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक बहाली और स्थिरीकरण के संकेत दिखाई दे रहे थे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट में देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन को सावधानीपूर्वक संतुलित करके आर्थिक पुनरूद्धार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत कार्यों को रेखांकित किया गया।

2. तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय बजट पेश करने के कुछ सप्ताहों के भीतर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध प्रारंभ होने से वैश्विक आपूर्ति श्रंखला का गंभीर विघटन हुआ। ये समस्याएं, वैश्विक रूप से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने चीन और देशों में कोविड-19 के फिर से आ जाने से और अधिक जटिल हो गईं। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक में अनुमान लगाया गया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक मन्दी देखी जा सकती है- यह गिरावट 2021 में 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 3.4 प्रतिशत और तब 2023 में 2.9 प्रतिशत पर आने की संभावना है।

3. ऐसे वृहद-आर्थिक माहौल के परिप्रेक्ष्य में 2022-23 के संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान के संबंध में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का सार नीचे तालिका में दिया गया है।

राजकोषीय सूचक - जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवर्ती लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	**बजट अनुमान**
	2022-23	**2023-24**
1. राजकोषीय घाटा	6.4	5.9
2. राजस्व घाटा	4.1	2.9
3. प्राथमिक घाटा	3.0	2.3
4. कर राजस्व (कुल)	11.1	11.1
5. गैर-कर राजस्व	1.0	1.0
6. केन्द्रीय सरकार का ऋण	57.0	57.2

टिप्पणी:

1. *जीडीपी से अभिप्राय वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से है।*
2. *केन्द्र सरकार का ऋण जिसमें वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित बाहरी सार्वजनिक ऋण, राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित लोक लेखा में कुल बकाया देयता एनएसएसएफ और ईबीआर के तहत देयताएं आदि शामिल हैं।*
3. *एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के तहत देयताएं संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 की जीडीपी का क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत है। इन देयताओं के तहत केन्द्र सरकार का निवल ऋण संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 55.7 प्रतिशत और 56.1 प्रतिशत है।*

4. यह स्पष्ट है कि 2022 का वैश्विक वृहद आर्थिक संकट 2023 में भी छाया हुआ है। यह प्रभाव वैश्विक आर्थिक बहाली की गति के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है और यह प्रमुख देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक गिरावट का भी संकेत देता है। इसलिए केन्द्रीय बजट 2023-24 का लक्ष्य विवेकपूर्ण और जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से पूंजीगत व्यय पर पुनः जोर देने, निर्धन और असुरक्षित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के जरिए धारणीय विकास कायम रखना है।

5. जारी वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए यह विवरण किसी मध्यावधिक राजकोषीय अनुमानों को रेखांकित नहीं करता है। इसकी बजाय जैसाकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट भाषण में घोषणा की गई थी, वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी स्तर से 4.5 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलती रहेगी। प्रतिबद्धता की तर्ज पर केन्द्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमानित राजकोषीय घाटे का निम्न स्तर हासिल किया।

6. इस विवरण के अंत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय वचनबद्धता/ बाध्यताओं और धारा 7 (3) (ख) के तहत अनुपालन के दायित्वों से हुए विचलन के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करने वाला विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण और राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति

7. पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7 प्रतिशत की तुलना में 7.0 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, सांकेतिक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2021-22 की 19.5 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 15.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

8. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित था। वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में एफडी/जीडीपी अनुपात का वही स्तर रखा गया है। नए विकास और कल्याण संबंधी व्यय प्रतिबद्धताओं के होते हुए भी वर्ष के दौरान कर प्राप्तियों में उछाल और लक्षित व्यय के यौक्तिकीकरण ने त्वरित समावेशी विकास के प्रयास को जारी रखने में सहायता की। यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों की पूरक मांग वित्त वर्ष में सामान्यतः तीन की बजाय दो थीं।

9. अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय (राजस्व और पूंजी) 24.43 लाख करोड़ रूपए या ब.अ. 2022-23 का 61.9 प्रतिशत था। इसमें अप्रैल-नवंबर 2021 की तुलना में वर्षानुवर्ष लगभग 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 24.43 लाख करोड़ रूपए के कुल व्यय में से क्रमशः राजस्व खाता और पूंजी खाता पर 19.95 लाख करोड़ रुपए (81.7 प्रतिशत) और 4.47 लाख करोड़ रूपए (18.3 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। इस वितरण के साथ, पहले आठ महीने में दर्ज की गई वृद्धि वित्त वर्ष 2021-22 में इसी अवधि की तुलना में क्रमशः राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए 10.8 प्रतिशत तथा 63.4 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय जमा पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान) 6.06 लाख करोड़ रूपए था और इसमें 49.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

10. अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन स्थिर रहे। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीने में सकल कर राजस्व में वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 15.5 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियां जो बजट अनुमानों की लगभग 64.6 प्रतिशत पर थी। पिछले पांच वर्षों 54.0 प्रतिशत की चल औसत के बजट अनुमानों की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में काफी अधिक थी। कर राजस्व (केन्द्र को निवल) और कर-भिन्न राजस्व इस अवधि के दौरान अपने बजट अनुमानों के क्रमशः 63.3 प्रतिशत और 73.5 प्रतिशत पर था।

11. वित्त वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों में क्रमशः 23.5 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की बजटित वृद्धि से काफी अधिक थी। प्रत्यक्ष करों में, कारपोरेशन कर और आय कर में क्रमशः 13.4 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत की बजटित वृद्धि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 26.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू अर्थव्यवस्था की तेज गति के परिणामस्वरूप माल और सेवा कर (जीएसटी) का काफी अच्छा संग्रहण हुआ। केन्द्रीय माल और सेवा कर में अप्रैल-नवंबर 2021 की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

12. वित्त वर्ष 2022-23 के पहले आठ महीनों के लिए कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) 1.98 लाख करोड़ रूपए था, जो ब.अ. का 73.5 प्रतिशत और ब.अ. के 58.3 प्रतिशत की पांच वर्ष की चल औसत से काफी अधिक था। कर-भिन्न राजस्व संग्रहण टेलीकॉम सेक्टर से प्राप्तियों, पीएसबी तथा अन्य सहित सीपीएसई से लाभांश द्वारा संचालित था।

13. ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के 79,291 करोड़ रुपए के बजटीय लक्ष्य की तुलना में नवंबर 2022 तक किया गया संग्रहण 41,481 करोड़ रुपए था, जो बजट अनुमान का 52.3 प्रतिशत था। एनडीसीआर में प्रमुख योगदान संशोधित अनुमान 2022-23 में एलआईसी आईपीओ और अन्य से प्राप्तियों का है।

14. भरपूर मात्रा में राजस्व प्राप्त होने के कारण नवंबर, 2022 के अंत में केंद्र का राजकोषीय घाटा 9.78 लाख करोड़ रुपए था, जो बजट अनुमान का 58.9 प्रतिशत था। यह ब.अ. के 104.6 प्रतिशत के इसके पांच वर्ष के चल औसत की तुलना में काफी कम था। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान राजस्व घाटा 5.73 लाख करोड़ रुपए था, जो बजट अनुमान का 57.8 प्रतिशत था और बजट अनुमान के 118.3 प्रतिशत के इसके पांच वर्ष के चल औसत से यथेष्ठ रूप से कम था।

15. केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप उनके संबंधित पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण राज्यों को देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों में सहायता देने के लिए करों की हिस्सेदारी योग्य प्राप्तियों के हस्तांतरण की तारीख को वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रत्येक माह की 20 तारीख से 10 तारीख अग्रिम रूप से नियत कर दी गई है। इस व्यवस्था से राज्यों के लिए माह के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक रुप से जारी किए जाने वाली तारीख से पूर्व अपने अपेक्षित हिस्से प्राप्त करना संभव हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने बजट अनुमान 2022-23 में निर्धारित 8.17 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2023 तक राज्यों को 12 किस्तों (2 अग्रिम किस्तों सहित) में हिस्सेदारी योग्य प्राप्तियों का 6.68 लाख करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिया है।

16. वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान बजटीय जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रहणों का लगभग 69 प्रतिशत जुटाया था। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए शेष जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 24.11.2022 को राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपर्युक्त धनराशि सहित अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की

गई क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि 1,15,662 करोड़ रुपए थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्तूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रहण मात्र 72,147 करोड़ रुपए था और केंद्र सरकार द्वारा शेष 43,515 करोड़ रुपए अपने स्वयं के संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं।

17. केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मार्च के अंत तक भुगतान के लिए उपलब्ध संगृहीत की जाने वाली अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की समस्त धनराशि राज्यों को अग्रिम रूप से जारी कर दी है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजीगत खाता संबंधी व्यय, वित्तीय वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक किए जाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का उपयोग सौंपने का लक्ष्य, राज्यों को पूंजीगत और अन्य विकास संबंधी व्यय बढ़ाने के लिए योजना बनाने और उपायों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाना है।

18. मुख्य रूप से अनुपूरक अनुदान मांगों (एसडीजी) के प्रथम बैच के माध्यम से अनुमत 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त निवल विनियोजन के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में केंद्र सरकार के व्यय का और अधिक बढ़ना संभव है। एसडीजी में शामिल किए गए व्यय की प्रमुख मदें खाद्य और उर्वरक सब्सिडियां, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित है। सड़क परिवहन और राजमार्गों, रेलवे, आदि में भी पूंजीगत परिव्यय में यथेष्ठ रुप से वृद्धि हुई है।

19. संशोधित अनुमान 2022-23 में कुल व्यय 41.87 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है जो बजट अनुमान 2022-23 से 2.42 लाख करोड़ रुपए अधिक है और इसमें 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्व लेखे संबंधी व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31.95 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में 34.6 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट अनुमान 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान में पूंजी खाता के तहत व्यय 7.28 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।

20. केंद्र सरकार, विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र प्रायोजित योजनाओं), अनेक स्वायत्त निकायों, आदि को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (जीआईए-पूंजी) के रूप में पर्याप्त धनराशि प्रदान करती है। हालांकि जीआईए-पूंजी को लेखांकन में राजस्व व्यय (अनुदान की तरह) के रूप में वर्गीकृत किया गया है फिर भी आर्थिक प्रभाव में यह प्राथमिक रुप से पूंजीगत प्रकृति की है। संशोधित अनुमान 2022-23 में कुल जीआईए-पूंजी 3.26 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके परिणामस्वरूप, संशोधित अनुमान 2022-23 में प्रभावी पूंजीगत व्यय अर्थात जीआईए-पूंजी और पूंजीगत व्यय लगभग 10.54 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।

21. संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था जो बजट अनुमान 2022-23 के बराबर है। इसका श्रेय समुचित व्यय लक्ष्य निर्धारण, बड़ी मात्रा में कर संग्रहण, विकास की गति और सार्वजनिक वित्त साधन के विवेकपूर्ण प्रबंधन को दिया जा सकता है। मुख्य रूप से वैश्विक पण्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण उच्चतर सब्सिडी बिल के कारण बजट अनुमान 2022-23 में 3.8 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 4.1 प्रतिशत हो सकता है।

22. दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सेक और टी-बिल्स) के माध्यम से सकल और निवल उधार, बजट अनुमान 2022-23 में क्रमशः 14.95 लाख करोड़ रुपए और 11.68 लाख करोड़ रुपए नियोजित की गई थी। दिसम्बर 2022 तक सरकार ने लगभग 7.32 प्रतिशत के भारित औसत अर्जन और लगभग 15.93 वर्षों की भारित औसत परिपक्वता के साथ 11.18 लाख करोड़ रुपए और 8.05 लाख करोड़ रुपए की क्रमशः सकल और निवल उधारी सफलतापूर्ववक जुटा ली है। संशोधित अनुमान 2022-23 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधारी क्रमशः 14.21 लाख करोड़ रुपए और 12.08 लाख करोड़ रुपए तक सुधारी गयी है। तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल और निवल उधारी में ब.अ. स्तरों से 5.2 प्रतिशत और संशोधित अनुमान 2022-23 में 4.4 प्रतिशत तक की कमी होना अनुमानित है।

23. केंद्र सरकार ने अपनी समग्र उधारी सीमा के भाग के रूप में बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बांड (एसजीआरबी) लाने का निर्णय लिया। एसजीआरबी, जो 9 सितम्बर 2022 को पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका कार्यढांचा दस्तावेज है, एसजीआरबी के भाग के रूप में सरकार 16,000 करोड़ रुपए सकती है। एसजीआरबी के द्वारा हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में लक्षित सार्वजनिक परियोजनाओं में आगे के नियोजन हेतु संभावित निवेशकों से अतिरिक्त वित्त जुटाना केंद्र सरकार के लिए सुविधाजनक हो सकता है। सरकार के समग्र उधारी समावेशन के भाग के रूप में एसजीबी से, बजट तैयार करते समय जलवायु संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। 25 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता वाले 8,000 करोड़ रुपए के एसजीआरबी की सफल नीलामी की है।

24. केंद्र सरकार के ऋण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 58.8 प्रतिशत से गिरकर संशोधित अनुमान 2022-23 में जीडीपी के 57.0 प्रतिशत तक आना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और संशोधित अनुमान 2022-23 में एनएसएसएफ के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में लेखा निवेश संबंधी देनदारियां क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत हैं। इन देनदारियों को घटाकर केंद्र सराकर का ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 और संशोधित अनुमान 2022-23 में जीडीपी का क्रमशः 57.2 प्रतिशत और 55.7 प्रतिशत बैठता है।

25. केंद्र सरकार, भारत की समेकित निधि की सुनिश्चितता के आधार पर उधारी के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी प्रदान करती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में केंद्र सरकार की गारंटी के रूप में आकस्मिक देनदारियों का उत्तरदायित्व लेने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में एक वित्तीय वर्ष में वृद्धिकारी गारंटी का उत्तरदायित्व लेने के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की उपरी सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी में वित्तीय वर्ष 2004-05 में लगभग 1.08

लाख करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में लगभग 5.19 लाख करोड़ रुपए तक की निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऐसी देनदारियों में वित्तीय वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम होकर जीडीपी के 2.2 प्रतिशत पर आ गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, अतिरिक्त गारंटी 95,752 करोड़ रुपए या जीडीपी का 0.4 प्रतिशत थी, जो एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भलीभांति अंदर थी। बकाया गारंटी संबंधी प्रकटीकरण विवरण, प्राप्ति बजट 2023-24 के भाग ख में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय परिदृश्य

26. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाली अनिश्चितताओं का निकट भविष्य में बनी रह सकती है। इसलिए, घरेलू अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से वृहत आर्थिक आधारभूत तत्वों, जो वैश्विक बहिर्जात घटनाओं के मध्य में है, के दक्ष प्रबंधन के लिए गतिशील और अनुकूल राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों पर 10.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का अनुमान है।

27. बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा, संशोधित अनुमान 2022-23 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निश्चित तौर पर, संशोधित अनुमान 2022-23 के 17.55 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा, 17.87 लाख करोड़ रुपए होना संभावित है। राजस्व घाटा, संशोधित अनुमान 2022-23 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होना अनुमानित है।

राजस्व प्राप्तियां (कर और कर-भिन्न)

28. सकल कर राजस्व (जीटीआर) में, संशोधित अनुमान 2022-23 से बजट अनुमान 2023-24 में 10.4 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, दोनों प्राप्तियों का पृथक रूप से क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है। समग्र कर (जीटीआर) में भारी वृद्धि 0.99 पर अनुमानित है। चूंकि वस्तु और सेवा कर से कर संग्रहण स्थिरता प्रदान करता है, इससे आगामी वर्ष में 1.14 की अनुमानित जीएसटी उछाल के साथ अप्रत्यक्ष कर संग्रहण को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बजट अनुमान 2023-24 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का जीटीआर में योगदान क्रमशः 54.4 प्रतिशत और 45.6 प्रतिशत अनुमानित है।

29. बजट अनुमान 2023-24 में कर से का अनुपात 11.1 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान के बराबर है। बजट अनुमान 2023-24 में कर संग्रहण जीडीपी की मामूली वृद्धि की तर्ज पर होने की प्रत्याशा है। बजट अनुमान 2023-24 में कर राजस्व (केंद्र का निवल) 23.31 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 के 20.87 लाख करोड़ रुपए से लगभग 11.7 प्रतिशत अधिक है।

30. केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व (केंद्र के निवल) और कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) शामिल हैं। बजट अनुमान 2023-24 में एनटीआर से राजस्व प्राप्ति के 11.5 प्रतिशत का योगदान अनुमानित है और इसके 3.02 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2.62 लाख करोड़ रुपए के संशोधित बजट 2022-23 से 15.2 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 23.48 लाख करोड़ रुपए और 26.32 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।

ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

31. बजट अनुमान 2023-24 में ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां (एनडीसीआर) 84,000 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें ऋणों और अग्रिमों की वसूली के अंतर्गत प्राप्तियां (23,000 करोड़ रुपए), सड़कों के मौद्रीकरण से प्राप्तियां (10,000 करोड़ रुपए) आदि शामिल हैं। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की वास्तविक उगाही, यथेष्ट रुप से मौजूदा बाजार परिस्थितियों, सरकार के जोखिम के लिए निर्धारित प्रत्याशित मूल्यांकन आदि पर निर्भर करती है। इन तथ्यों को देखते हुए ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, संशोधित अनुमान 2022-23 के 83,500 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 84,000 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

व्यय

32. बजट अनुमान 2023-24 में केंद्र का कुल व्यय लगभग 45.03 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय की वृद्धि में प्रमुख योगदान, पूंजीगत व्यय का है।

पूंजीगत व्यय

33. वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट में संवर्धित पूंजीगत व्यय के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास पर बल को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें देश भर में ऐसे निवेशों की साम्या और समानता सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की गई है। यह अगले 25 वर्षों में चार उद्देश्यों नामतः अवसंरचना, निवेश, नवाचार और समावेशन के प्रति सरकार के बल देने और प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

34. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी के 3.33 प्रतिशत) से अधिक का प्रावधान किया गया है। यह बजट अनुमान 2023-24 में पूंजीगत बजट में संशोधित अनुमान 2022-23 के 7.28 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 37.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि प्रदर्शित करता है। बजटीय पूंजीगत व्यय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय का लगभग 3 गुना है। महत्वपूर्ण अवसंरचना और रणनीतिक मंत्रालय जैसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, रक्षा आदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

35. सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना से राज्यों की क्षमता सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की गई स्कीम

को 1.30 लाख करोड़ रुपए के संवर्धित परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में विस्तारित किया गया है। यह, बजट अनुमान 2022-23 के आबंटन की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के जीडीपी का लगभग 0.4 प्रतिशत की बनता है।

राजस्व व्यय

36. राजस्व खाता संबंधी व्यय, बजट अनुमान 2023-24 में लगभग 35.02 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 11.6 प्रतिशत) अनुमानित है इसमें संशोधित अनुमान 2022-23 के 34.59 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडियां, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, और वित्त आयोग के अनुदानों के रुप में राज्यों को किए गए अंतरण, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें, आदि शामिल हैं। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अनुदान, केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों का महत्वपूर्ण भाग है। कुछ महत्वपूर्ण मदों पर निम्नलिखित परिच्छेदों में संक्षिप्त ढंग से चर्चा की गई है।

(i) ब्याज भुगतान

37. बजट अनुमान 2023-24 में विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए मौजूदा ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान, 10.80 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है जो कुल राजस्व व्यय का 30.8 प्रतिशत और केंद्र की राजस्व प्राप्तियों का 41.0 प्रतिशत है।

(ii) प्रमुख सब्सिडियां

38. राजस्व व्यय का अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमुख सब्सिडियां हैं जिनमें खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां शामिल हैं। 3.75 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) की प्रमुख सब्सिडीयां बजट अनुमान 2023-24 में राजस्व व्यय का 10.7 प्रतिशत है। मुख्य रूप से दिसम्बर 2022 तक पीएमजीकेएवाई मुफ्त खाद्य अनाज कार्यक्रम के विस्तारण और वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों से किसानो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर ज्यादा खर्च के कारण सब्सिडी बिल में, बजट अनुमान 2022-23 में 3.18 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2022-23 में 5.22 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाकर संशोधन किया गया था।

(iii) वित्त आयोग के अनुदान

39. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्य सरकारों को वित्त आयोग के अनुदान दिए जाते है। विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल वित्त आयोग के अनुदान, जैसे राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और अन्य, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए तक अनुमानित है।

(iv) पेंशन

40. पेंशन के भुगतान अधिकांशतः तीन भारत सरकार की अनुदान मांगों; रक्षा (पेंशन), सिविल (पेंशन) और दूर संचार का हिस्सा हैं। जबकि सिविल (पेंशन) में सभी विभाग शामिल हैं जबकि अन्य दोन मांगों में विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों के लिए पेंशन व्यय शामिल हैं। केंद्र सरकार के व्यय का बजट अनुमान 2022-23 में लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमान 2022-23 के लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2022-23 में हुई इस वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण रक्षा कार्मिकों के संबंध में ओआरओपी के बकायों का भुगतान है। पेंशन भुगतानों का बजट अनुमान 2023-24 में 2.34 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित जीडीपी का 0.8 प्रतिशत दर्शाता है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

41. सरकार ने दिनांक 01 जुलाई, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से 'वन रैंक वन पेंशन' के अंतर्गत सशस्त्र बल पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किया है। इस संशोधन के कराण बकाया राशि का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। जबकि 'वन रैंक वन पेंशन' के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक (नियमित) व्यय का प्रावधान, संबंधित वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है, संपूर्ण बकाया राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर दिया गया है, जिसे अंतत: लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु एक गैर-व्यपगमनीय जमा खाता में अंतरित किया जाता है।

(v) राज्यों में करों का अंतरण

42. वित्त वर्ष 2023-24 पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की पंचाट अवधि का तीसरा वर्ष होगा। एफएफसी की सिफारिशों के आधार पर, राज्यों को कर-अंतरण वित्त वर्ष 2022-23 के विभाज्य पूल के 41 प्रतिशत पर तय किया गया है। राज्यों के करों के हिस्से का अंतरण बजट अनुमान 2022-23 में लगभग 8.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था जो इस वर्ष बढ़ी हुई कर प्राप्तियों के कारण और संघ सरकार द्वारा राज्यों को देय अवधि पूर्व समायोजनों के चलते लगभग 32,600 करोड़ रुपए की राशि समायोजित करने के कारण संशोधित अनुमान 2022-23 में पर्याप्त रूप से बढ़कर 9.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को कर-अंतरण बजट अनुमान 2023-24 में 10.21 लाख करोड़ रुपए बनता है।

उधारियां-सरकारी ऋण और अन्य देयताएं

43. केंद्र सरकार ने बजट अनुमान 2023-24 में दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सेक और टी-बिलों) के माध्यम से क्रमशः लगभग 15.43 लाख करोड़ रुपए और 12.31 लाख करोड़ रुपए की सकल और निवल उधारियों की योजना बनाई है जो संशोधित अनुमान 2022-23 की 14.21 लाख करोड़ रुपए की सकल उधारियों और 12.08 लाख करोड़ रुपए की निवल उधारियों से क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, सकल और निवल उधारी बजट अनुमान 2023-24 में गिरकर क्रमशः 5.1% और 4.1% पर आने की उम्मीद है जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में क्रमशः 5.2% और 4.4% कम होने की संभावना है।

44. राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के अन्य स्रोतों में केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, अल्पावधि के ट्रेजरी बिल, निवल विदेशी सहायता और सरकारी खातों की शेष राशियां आदि हैं। बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए, एनएसएसएफ से लगभग 4.71 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिए

जाने का अनुमान है। जबकि विदेशी स्रोतों और राज्य भविष्य निधियों से क्रमशः 22,118 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ रुपए की उधारी लिए जाने का अनुमान है। बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे के कुल वित्त पोषण में से निवल बाजार उधारियों और एनएसएसएफ का हिस्सा क्रमशः 68.9% और 26.4% है।

45. भारत के सरकारी खाते में केंद्र सरकार की कुल देयता में सरकारी ऋण (बजट अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 51.3%) और अन्य देयताएं (बजट अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 5.6%) शामिल हैं। देयताओं के सरकारी ऋण के भाग में प्रमुख घटक स्वदेशी सरकारी ऋण का है और शेष घटक विदेशी ऋण का है। केंद्र का विदेशी ऋण कुल देयताओं का बहुत छोटा घटक (बजट अनुमान 2023-24 में कुल देयताओं का 4.29%) है क्योंकि सरकारी उधारियों मुख्यतः घरेलू बाजारों से ली गई हैं। इसके अलावा, विदेशी उधारियां मुख्यतः बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से ली गई हैं।

46. कुल सरकारी ऋण, जिसमें केंद्र के खाता मूल्य पर विदेशी ऋण भी शामिल है, बजट अनुमान 2023-24 में अनुमानतः 152.54 लाख करोड़ रुपए है जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह लगभग 135.91 लाख करोड़ रुपए था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, कुल सरकारी ऋण संशोधित अनुमान 2022-23 में जीडीपी का अनुमानतः 49.8% था जो बजट अनुमान 2023-24 में बढ़कर जीडीपी का 50.6% होने का अनुमान है। तथापि, यदि विदेशी ऋण का मूल्य वर्तमान विनिमय दर पर लगाया जाए तो बजट अनुमान 2023-24 में सरकारी ऋण और जीडीपी के बीच का अनुपात अनुमानतः 51.3% बनता है।

47. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में केंद्र सरकार के ऋण की कवरेज को विस्तार दिया गया है। इस परिभाषा के अनुसार केंद्र सरकार के ऋणों में भारत की समेकित निधि पर ली गई सभी देयताएं शामिल हैं जिनमें वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित विदेशी ऋण, सरकारी खाते पर बकाया सभी देयताएं, बजटेतर संसाधनों (ईबीआर) की देयताएं आदि शामिल हैं। इस व्यापक अर्थ में, केंद्र सरकार का ऋण बजट अनुमान 2023-24 में जीडीपी का 57.2% अनुमानित किया गया है।

48. भारत के सरकारी बाते पर बकाया देयताओं का एक बड़ा भाग राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों (जो वास्तव में राज्य सरकारों की देयताएं हैं) में एनएसएसएफ निवेश के कारण हैं। यदि इन निवेशों को दोहरी गणना से बचने के लिए छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार का समायोजित ऋण वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में जीडीपी का अनुमानतः 55.7% होता है।

संधारणीयता का मूल्यांकन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

49. केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 26.32 लाख करोड़ रुपए और 35.02 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके आधार पर, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अनुपात बजट अनुमान 2023-24 में 75.2% अनुमानित किया गया है। जो संशोधित अनुमान 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के क्रमशः 67.9% और 67.8 प्रतिशत से सुधर कर बीई 2023-24 में 75.2 प्रतिशत अनुमानित है। बजट अनुमान 2023-24 में इस अनुपात में यह सुधार मुख्यतः राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाने तथा कर और जीडीपी के बीच के स्थिर अनुपात के कारण हुआ है। कर-जीडीपी अनुपात बजट अनुमान 2022-23 में 10.7% था जो संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में सुधर पर 11.1% हो गया है।

50. राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अनुपात का मूल्यांकन केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध और वित्तीय लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखकर किए जाने की आवश्यकता है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच आदर्श संतुलन प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। प्रत्येक वर्ष, संसाधनों की एक बड़ी राशि पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता-अनुदान के रूप में केंद्र प्रायोजित स्कीमों/केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित की जाती है। हालांकि इन अनुदानों का अंततः उपयोग पूंजीगत स्वरूप में हो सकता है, लेखांकन संदर्भ में, इन अंतरणों को केंद्र सरकार के खातों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता-अनुदानों को समायोजित करने के बाद, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अनुपात बजट अनुमान 2023-24 में 83.9% अनुमानित किया जाता है।

(ii) उत्पादनशील आस्तियां सृजित करने के लिए बाजार उधारियों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उदयो

51. पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात (कैपेक्स-एफडी) व्यापक तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार के पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लिए गए संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग हुआ है। यह अनुपात बजट अनुमान 2023-24 में 56.0% अनुमानित किया गया है जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में यह क्रमशः 41.5% और 37.4% था। इस समयावधि में सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के चलते इस अनुपात में सुधार होता आ रहा है। इसके अलावा, यदि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को व्यापक परिभाषा अर्थात प्रभावी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय जमा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता-अनुदान के अनुसार लिया जाए तो यह अनुपात बजट अनुमान 2023-24 में अनुमानतः 76.7% बनता है जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह 60.0% बनता है।

वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय नीति की रणनीति

52. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति की रणनीति में राजकोषीय समेकन और सरकार के व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मार्ग पर अडिग रहते हुए वैश्विक बाधाओं और विश्वभर में व्याप्त अनिश्चितताओं की चुनौतियों के बावजूद विकास के आवेग को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का मार्गदर्शक सिद्धांत निहित है।

कैपेक्स को प्रोत्साहित करने का बहुगुणक प्रभाव होगा जिससे विदेशी क्षेत्रों से महसूस होने बाह्य और अजनाने किन्हीं झटकों के कारण मांग में होने वाली कमी को दूर किया जा सकता है।

कर नीति

53. कर नीति का समग्र मध्यावधि प्रतिबल प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और कर आधार को व्यापक बनाने पर केंद्रित है। इसे कर-विलोमनों को हटाकर हासिल किया जा रहा है। ये कर-विलोमन कर ढांचे में घुसकर छूटों में कांट-छांट कर रहे हैं। इसके अलावा, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं के लिए अनुपालना सरल बनाने, आपूर्ति श्रृंखला के औपचारिकीकरण और व्यवसाय करना अधिक सरल बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। बजट 2023-24 में, सकल कर राजस्व (जीटीआर) जीडीपी का 11.1% अनुमानित किया गया है।

54. अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, ''एक देश एक बाजार, एक कर'' के उद्देश्य के साथ जीएसटी एक पारदर्शी, निष्पक्ष दक्ष कर व्यवस्था के रूप में उभरी है। सरकार इसके तहत होने वाली प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए जीएसटी का आगे और उपयोग कर रही है, जैसे किः

(i) जुलाई 2020 से, करदाताओं की सुविधा के लिए तथा सीजीएसटी नियमावली के नियम 87(3) में संशोधन करते हुए डिजीटल भुगतान को और बढावा देने के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए अतिरिक्त भुगतान-पद्धति के रूप में यूपीआई और आईएमपीएस का प्रावधान किया गया है। इससे करदाताओं को जीएसटी का भुगतान करने में और अधिक अनुकूलता और सरलता होगी।

(ii) 'अगल-अलग व्यक्तियों' (एक ही पैन वाले परंतु अलग-अलग राज्यों में पंजीकृत निकाय) के बीच सीजीएसटी/आईजीएसटी के नकदी खाता शेष के अंतरण की अनुमति दी गई है।

(iii) करदाताओं द्वारा जीएसटी के तहत किए गए धन वापसी संबंधी आवेदनों की वापसी की सुविधा प्रदान की गई है। बिजली के निर्यात पर संचयी आईटीसी की प्रतिदायगी के लिए भी एक तंत्र विहित किया गया है।

(iv) वस्तुओं के निर्यात के ऐसे मामलों में, जहां निर्यातकों को जोखिमपूर्ण अभिज्ञात किया गया है, आईजीएसटी की प्रदायगी की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि ऐसे दावों के सत्यापन और प्रसंस्करण में तेजी लाई जा सके।

55. जीएसटी के उत्तरोत्तर बढ़ते संग्रहण इस बात का द्योतक हैं कि जीएसटी व्यवस्था परिपक्व हो रही है। जीएसटी प्राप्तियां बजट अनुमान 2023-24 में 9.57 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई हैं जो संशोधित अनुमानों पर 12.0% की वृद्धि दर्शाती हैं।

56. घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने की ओर प्रवृत्त सीमा शुल्क दर ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर निम्न शुल्क लगाने तथा भारत में विनिर्मित हो रही वस्तुओं को युक्तिसंगत प्रशुल्क सहायता प्रदान करने पर भी विचार किया गया है।

57. भारतीय सीमा-शुल्क विभाग ने आईजीसीआरएस (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है जो 10 सितम्बर 2022 से प्रभावी है। नौकरी संबंधी कार्य के समावेषण, घटे हुए मूल्य पर पूंजीगत वस्तुओं की निकासी, समूची प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने तथा अधिकारियों से भौतिक तौर पर रूबरू होने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ''व्यापार करना सरल बनाने'' के बड़े लक्ष्यों के अनुसार, रियायती शुल्क-दरों पर वस्तुओं के आयात की पद्धतियों को सरल और स्वचालित बनाने के लिए इन नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

58. देशभर में डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करके तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को ई-कॉमर्स या अन्य नियमित चैनलों का प्रयोग करते हुए वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए सीबीआईसी ने डाक विभाग के सहयोग से डाक निर्यात (इलैक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है। इस नई प्रणाली के तहत, निर्यातक को निर्यात का डाक बिल (पीबीई) दर्ज करने और निर्यात पार्सल प्रस्तुत करने के लिए विदेशी डाकघर (एफपीओ) जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय, निर्यातक अपने घर/कार्यालय से पीबीई ऑनलाइन दायर कर सकता है और किसी नजदीकी बुकिंग डाकघर में जाकर डाक अधिकारियों को निर्यात पार्सल सौंप सकता है। डाक अधिकारी निर्यात पार्सल को बुकिंग डाकघर से किसी एफपीओ तक सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे, जहां इसकी सीमा-शुल्क संबंधी निकासी का कार्य होगा।

59. प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर, नीति में राजस्व सृजन का संवर्द्धन किया जा रहा है और स्वैच्छिक कर-अनुपालना में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोक हितैषी कर-ढांचे में प्रशासनिक और प्रौद्योगिकीय उपायों के परिणामस्वरूप निगम कर बजट अनुपान 2023-24 में 9.23 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है जो संशोधित अनुमान 2022-23 पर 10.5% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह, आय पर करों में संशोधित अनुमान 2022-23 की अपेक्षा 10.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। इस संबंध में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) प्रथम बार पैन धारण करने वाले करदाता के लिए आधार आधारित इन्स्टैंट ई-पैन, निःशुल्क, पूर्णतः ऑनलाइन और सिंगल विंडो विकल्प दिए गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी 2023 तक इस उपाय के माध्यम से आवंटित किए गए पैन की संख्या 1,65,42,366 है।

(ख) स्टार्ट-अप्स के लिए अनुपालन की शर्तों को सरल बनानाः स्टार्ट-अप्स को धक्का-मुक्की रहित कर वातावरण प्रदान किया गया है जिसमें कर-निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण, एंगल-कर से छूट, समर्पित स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ का गठन शामिल हैं।

(ग) टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तारः टीडीएस और टीसीएस में नए लेन-देनों जैसे विदेशों को भेजी गई रकम, लक्जरी कारें खरीदना, ई-कॉमर्स के भागीदारों को शामिल करके उनके दायरे को बढ़ाया गया है और वर्चुअल डिजीटल आस्ति (वीडीए) के लिए एक व्यापक कराधान व्यवस्था प्रदान की गई

है और साथ ही, इस पर नजर रखना सुनिश्चित करने के लिए इन वीडीए के अंतरण पर टीडीएस शुरू किया गया है।

(घ) भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण से डिजीटल पण्यावर्त पर अनुमानित लाभ की दर में कमी लाने, लेनदेनों की विहित रीतियों पर एमडीआर प्रभारों का समापन, नकदी लेन-देनों की न्यूनतम सीमा को समाप्त करना, कतिपय नकदी लेन-देनों का निषेध आदि का निष्पादन सुकर हुआ है।

(ङ) पैन अब विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि बैंक खाता खोलना, डी-मैट खाता खोलना, जीएसटी के लिए पंजीकरण आदि में अपेक्षित होता है। 16 जनवरी, 2023 तक आवंटित किए गए पैन की उत्तरोत्तर संख्या (संचयी) 65,36,01,023 है। इस प्रकार पैन का उपयोग अनेक सरकारी विभागों और सेवाओं में पंजीकरण प्रदान करने के लिए व्यवसाय पहचान संख्या (बीआईएन) बनाने में किया जाता है।

(च) पैन का आधार के साथ एकीकरणः आधार को पैन के साथ जोड़ने का दोहरा उद्देश्य है किसी आवेदक को डुप्लीकेट पैन जारी करने से रोकना तथा पहले से जारी पैन के धारक आवेदक की पहचान करना।

(छ) कार्पोरेट निकायों के लिए पैन और टैन/इन्सटैंट ई-पैन जारी करने के लिए एमसीए के साथ एकीकरणः पैन और टैन आवंटन को एमसीए पोर्टल पर सामान्य आवेदन पत्र एसपीआईसी के साथ समेकित किया गया है। इस सुविधा के तहत दिसम्बर 2022 तक आवंटित किए गए पैन और टैन की संख्या क्रमशः 8,53,760 और 8,54,887 है।

(ज) ई फाइलिंग का बेहतर अनुभव प्रदान करने, अनुपालना को सरल बनाने, आईटीआर का अधिक सटीक और तीव्र प्रसंस्करण करने के लिए एक समेकित ई-फाइलिंग और सीओसी 2.0 परियोजना शुरू की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6 जनवरी, 2022 तक इस पोर्टल पर 7.61 करोड़ आईटीआर ई-फाइल की गई हैं।

(झ) स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने तथा गैर-अनुपालन को रोकने के लिए, सभी पात्र व्यक्तियों को उपयुक्त कर का भुगतान करने के लिए कर-अनुपालना के बारे में बताने के लिए और निष्पक्ष तथा न्यायसंगत कर प्रशासन को बढ़ावा देने में कर प्रशासन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक एकीकृत डाटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म संचालनरत किया गया है।

व्यय नीति

60. राजकोषीय नियमों का उद्देश्य है कि विकृत प्रोत्साहनों को ठीक करना और अधिक व्यय करने के दबावों को नियंत्रित करना ताकि राजकोषीय दायित्व और ऋण धारणीयता सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए व्यय दिशा-निर्देश राजकोषीय नीति पर नजर रखने तथा राजकोषीय नीति की पूर्व-चक्रीयता को कम करने में सहायक हैं। वृहद आर्थिक स्थायित्व पर आधारित निरंतर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए व्यय की गुणवत्ता पर बल देना अति आवश्यक है।

61. उत्पादनशील दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की अवधारणाएं सरकार की व्यय की रूपरेखा को दीर्घावधिक, धारणीय और निष्पक्ष विकास और कल्याण की ओर मार्गदर्शित करती हैं। बजट 2023-24 में सरकार की प्राथमिकता ऐसे क्षेत्रों को अधिक परिव्यय देने की है जो आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण आदि में सहायक होंगे। इस पृष्ठभूमि पर विचार करना तब और अधिक अनिवार्य हो जाता है, जब हम रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक परिव्यय देने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

62. सरकारी व्यय के कुछ घटक जैसे एक ओर औद्योगिक वृद्धि और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए तथा दूसरी ओर, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिणाम आधारित राजकोषीय प्रोत्साहन दूसरों के मुकाबले अधिक उत्पादनशील हैं और निजी व्यय के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक न होकर इसके पूरक हैं। इसलिए, ऐसे राजकोषीय प्रोत्साहन विकास को बढ़ाने तथा निवेश व उपभोग को प्रेरित करने में योगदान देते हैं। राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता में सुधार का मजबूत संबंध सरकारी अवसंरचनात्मक निवेशों, शिक्षा और प्रशिक्षण (सक्रिय श्रम बाजार की नीतियों के साथ-साथ), स्वास्थ्य देखरेख तथा साथ ही अनुसंधान और विकास के साथ है। इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादन कारकों (श्रम और पूंजी) की अक्षयनिधि या उनकी उत्पादनशीलता में सुधार लाकर विकास को बढ़ावा मिलेगा।

63. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के बड़े सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को एक साधन के रूप में उपयोग में लाया गया है। केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए), सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) और ट्रेजरी सिंगल एकाउंट (टीएसए) प्रणाली से केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएमएस)/केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएस) की निधि के उपयोग में, निधियों पर नजर रखने, निधियों को प्रयोजनमूलक और यथा-समय पर जारी करने में अधिक दक्षता आई है। अंततोगत्वा सभी का सरकार के नकदी प्रबंधन को बेहतर बनाने में योगदान रहा है।

64. बेहतर लक्ष्य साधना के माध्यम से व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर आमुख व्यय प्रबंधन से ऋण और बाद के वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन की समायोजन प्रक्रिया सुकर बनी है। कोविड-19 महामारी के चलते सामने आए आर्थिक संकट के प्रति की गई अनुक्रिया तीव्र और व्यापक थी। चूँकि राजकोषीय पैकेज के परिणामस्वरूप उसके तत्काल दुष्प्रभाव से राहत मिली, फिर भी इसे राजकोषीय रूप से इतना अधिक विस्तारात्मक नहीं बनने देने के लिए सावधानी बरती गई।

65. इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

66. पीएम गतिशक्तिः मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्तूबर 2021 में शुरू हो गई थी। यह अनिवार्य तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समेकित आयोजना और इनके समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क मार्ग समेत 16 मंत्रालयों को एकसाथ लाने के लिए अभिप्रेत है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन की एक रीति से दूसरी रीति के माध्यम से लाने-ले-जाने के लिए

एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे अवसंरचना की अंतिम-छोर की कनेक्टिविटी सुगम होगी और लोगों की यात्रा का समय भी घटेगा।

67. इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचनात्मक स्कीमों जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतरदेशीय जलमार्ग, शुष्क/भू-पत्तन, उडान आदि को शामिल किया जा रहा है। आर्थिक जोनों जैसे टैक्सटाइल क्लस्टर, भेषज क्लस्टर, रक्षा गलियारों, इलैक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारों, मात्सिकी क्लस्टर, कृषि जोनों को भी शामिल किया जाना है ताकि कनेक्टिविटी में सुधार लाया जा सके और भारतीय व्यवसायों को और अधिक प्रतिस्पर्द्धि बनाया जा सके। इसमें प्रौद्योगिकी का व्यापक तौर पर उपयोग किया जाना है। जिसमें बिसाज-एन (भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और जियोइनफार्मेटिक्स राष्ट्रीय संस्थान) द्वारा तैयार की गई इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) इमेजरी से युक्त आकाशीय आयोजना के साधन शामिल हैं।

68. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरूआत से देश में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समेकित आयोजना और इनके समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क मार्ग सहित विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाएगी। विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अनुमोदनों पर विचार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ अनुरूपता के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, इस प्रकार अवसंरचनात्मक विकास के प्रति समग्र और समन्वित दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जाएगा।

69. **वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमों में संशोधन** – वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के नियम 8 में मानक वस्तु शीर्षों की सूची नामतः सरकारी खातों में वर्गीकरण के अंतिम स्तर को विहित किया गया है। मानक वस्तु शीर्षों की इस सूची को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श में संशोधित किया गया है जो 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, और इस संशोधन को सरकारी व्यय में ग्रेन्यूलरिटी बढ़ाने के विचार से 16.12.2022 को अधिसूचित किया गया। खातों के नए वस्तु शीर्षों की उत्पत्ति व्यय प्रबंधन आयोग, 2014 की सिफारिशों में निहित है।

70. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों के सहयोगात्मक प्रयास : 2022-23 के बजट में केन्द्र सरकार ने राज्यों की पहले से चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा नई पूंजीगत परियोजनाओं को शुरू करने तथा इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता करने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याजमुक्त ऋण भी प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। केन्द्र सरकार ने एक सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धि राजकोषीय संघवाद की भावना के साथ राज्य सरकारों को भागीदार बनाते हुए एक समन्वित प्रयास के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के 10,000 करोड़ रूपये के बजट को बढ़ाकर बजट अनुमान 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रूपये कर दिया है।

सरकारी उधारियां, ऋण देना और निवेश

71. सरकार की ऋण की रूपरेखा की प्रमुख विशिष्टताओं में एक है कुल देयताओं की प्रतिशतता के रूप में विदेशी ऋण के भाग का कम होना। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशी ऋण वर्तमान विनिमय दर पर केन्द्र सरकार की कुल देयताओं का लगभग पांच प्रतिशत है। विदेशी उधारियां वित्तपोषक विकास परियोजनाओं के लिए चुनिंदा विकास भागीदारों से लिए गए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋणों तक सीमित है, इसलिए इन पर पूंजीगत प्रवाहों के प्रतिलोम का प्रभाव नहीं पड़ता। बजट अनुमान 2022-23 में 19,251 करोड़ रूपए के विदेशी निधियन का एफडी में 1.16 प्रतिशत हिस्सा है। एफडी वित्तपोषण के लिए बजट अनुमान 2023-24 का विदेशी निधियन 22,118 करोड़ रूपए पर है। इस प्रकार सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशी स्रोतों से मिले वित्तपोषण को एफडी का मात्र 1.2 प्रतिशत पर ही रखते हुए ऋणों को घरेलू बाजार की उधारियों या बाजार से जुड़े घरेलू स्रोतों से जुटाने पर विश्वास बनाए रहेगी।

72. सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में चलायमान जोखिम निरंतर कम बना हुआ है, जिसमें बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता 17 जनवरी 2022 तक 16.95 वर्ष के करीब बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अगले पांच वर्षों में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां कुल बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 30 प्रतिशत हैं।

73. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (सितंबर तक, रुपये दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की 16.99 वर्ष के मुकाबले कम होकर 15.55 वर्ष रह गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की उसी अवधि के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल बढ़कर 7.33 प्रतिशत हो गया था जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की उसी अवधि के दौरान यह मात्र 5.79 प्रतिशत था, जो उच्च प्रतिफल के माहौल की मौजूदगी को इंगित करता है। 'प्राथमिक निर्गमनों' की निरंतर बढ़ती परिपक्वता और घटती उधारी लागत इस बात को प्रतिबिंबित करती हैं कि 'बीमा कंपनियां' और 'भविष्य निधियों' में दीर्घावधिक स्वरूप की प्रतिभूतियों के लिए मांग बढ़ी है, जिससे सरकार को अपनी परिपक्वता प्रोफाइल को मध्यावधि तक बढ़ाने के लिए पहले से किए जा रहे प्रयासों को सहायता मिलेगी।

74. केन्द्रीय बजट 2022-23 में, यह उल्लेख किया गया था कि सरकारी वित्तों की वित्तीय स्थिरता और दीर्घावधिक धारणीयता विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन पर निर्भर करती हैं। भारत की ऋण नीति के पीछे का विचार है सरकारी ऋण और जीडीपी के बीच के अनुपात को धीरे-धीरे कम करना ताकि ऋण चुकाने की लागत को कम किया जा सके और अन्य अनिवार्य व्ययों के लिए निधियों को मुक्त किया जा सके। ऋण रणनीति में मुख्य ध्यान स्थिर, कम खर्चीले और उत्तरदायीपूर्ण ऋण ढांचे को बनाए रखने पर दिया गया है।

75. सरकार की मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति में उपयुक्त लिखतों के निर्गमन के माध्यम से और परिपक्वताओं की अवधि बढ़ाकर तथा वापसी खरीद प्रतिभूतियों को अपनाकर चलायमान जोखिम को कम करते हुए मध्यावधि और दीर्घावधि में सरकार के लिए उधारी की लागत कम करने का प्रयास किया गया है। इस रणनीति से फ्लोटिंग दर ऋण को निम्न

रखते हुए ब्याज दर जोखिम को कम करने तथा घरेलू मुद्रा में ऋण जारी करके विदेशी मुद्रा के जोखिम के प्रबंधन में भी मदद मिलती है।

76. बाजार की उधारियों पर अधिक बल देने के अलावा, सरकार लगाई गई ब्याज दरों को बाजार की दरों के अनुरूप बनाने की ओर भी प्रयासरत है। छोटी बचतों पर ब्याज दरें व्यापक तौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में मिले प्रतिफलों से जुड़ी हैं और ब्याज दरों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है, हालांकि कुछ मामलों में करोपरांत मुनाफे को ध्यान में रखा जाता है।

77. सरकार सरकारी ऋण प्रबंधन के प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है। भारत सरकार ने अक्तूबर, 2016 से 'सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र' नामक रिपोर्ट प्रकाशित कराई थी। इस रिपोर्ट में सरकारी ऋण के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है। जिनमें देश की समग्र ऋण स्थिति, ऋण धारणीयता का विभिन्न पहलुओं से मूल्यांकन, विभिन्न जोखिमों को शामिल करने के लिए मध्यावधिक ऋण प्रबंधन रणनीति आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं :

78. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार की राजकोषीय रणनीति की प्राथमिकताएं पहले से विद्यमान आर्थिक दशाओं के प्रति कारगर ढंग से अनुक्रिया करने के लिए आवश्यक लोचशीलता बनाए रखते हुए क्रमिक राजकोषीय समेकन के मार्ग पर बने रहने के सिद्धांत पर टिकी हुई हैं। सरकार की वित्त वर्ष 2023-24 की राजकोषीय रणनीति निम्नलिखित व्यापक आशयों पर आधारित है :

(क) अवसंरचना के विकास के आवेग को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को पूंजीगत व्यय की ओर प्रवृत्त करना;

(ख) पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की समेकित और समन्वित आयोजना तथा इनके कार्यान्वयन पर बल देना।

(ग) स्थायी विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विकास के प्रमुख क्षेत्रों नामतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, ग्रामीण विकास आदि पर व्यय को प्राथमिकता देना;

(घ) पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकारी अवसंरचना के संवर्धन की दिशा में समग्र रूप से बल देना;

(ङ) एसएनए/टीएसए प्रणाली का प्रयोग करते हुए संसाधनों को समय पर निर्मुक्त करके नकदी प्रबंधन की कारगरता को बढ़ाना आदि।

निष्कर्ष और नीतिगत मूल्यांकन

79. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वैश्विक अनिश्चितताओं और संकटों तथा आगामी वर्ष में भी इसके बने रहने के डर के बावजूद भी केंद्र सरकार संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4 प्रतिशत पर लक्षित रखने तथा राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 5.9 प्रतिशत पर लक्षित करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजकोषीय समेकन के मार्ग पर निरंतर डटे रहने के लिए कटिबद्ध रही है। बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है विकास के वातावरण को सकारात्मक प्रेरक बल प्रदान करना, आगामी वर्ष में भी विकास के आवेग को बनाए रखना और वैश्विक बाधाओं के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक लोचशील बनाने के लिए आवश्यक सहारा प्रदान करना। पिछले वर्ष में किए गए और आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित उपाय, जो मुख्यतः बहुगुणक प्रभाव के साथ पूंजीगत व्यय के विस्तार के लिए किए गए हैं, आशा है विकास के आवेग में और मजबूती लाएंगे तथा मध्यावधि में अधिक तीव्र और समावेशी विकास के लिए निजी निवेशों का संपूरक बनेंगे।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 4 में उल्लिखित रजकोषीय लक्ष्यों तथा धारा 7 (3) (ख) के तहत अनुपालनात्मक दायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 4(1)(क) में केन्द्र सरकार को अधिदेशित किया गया है कि वह 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन प्रतिशत तक सीमित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(घ) में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह पूर्वोक्त राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित तारीखों से पहले पूरा करने के लिए प्रयासरत रहे। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(ख)(i) के अनुसार वित्त मंत्री से अपेक्षा की गई है कि वह इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार पर डाले गए दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन को स्पष्ट करते हुए संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दें।

2. कोविड-19 महामारी से विश्वभर में और भारत में अभूतपूर्व आर्थिक और वित्तीय संकट आया। महामारी के कारण केन्द्रीय सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ा जबकि यह ब.अ. 2020-21 के लिए जीडीपी का 3.5 प्रतिशत अनुमानित था। तब से वांछित स्तर पर पहुंचने के लिए केन्द्र सरकार क्रमिक राजकोषीय समेकन के सिद्धांत का अनुपालन करती रही है। तथापि, एक के बाद एक वैश्विक प्रतिवात एवं वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं निरंतर अड़चनें डालती रहीं, जो बहुधा प्रत्यक्ष रूप से घरेलू आर्थिक नीतिगत शक्तियों के नियंत्रण के परे हैं। इसलिए, वित्तीय नीति घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी अघात के प्रति अधिक समुत्थानशील बनाने और वैश्विक आर्थिक गिरावट के जोखिमों को कम करने की रही है।

3. सरकार, संसद के दोनों सदनों के समक्ष जैसाकि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1ख) के तहत अधिदेशित है, वित्त वर्ष 2022-23 में वैश्विक उथल-पुथल जारी रहने के कारण मध्यावधिक व्यय की रूपरेखा विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।

4. जनवरी, 2023 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के जारी होने से वैश्विक आर्थिक विकास का अनुमान 2021 में 6.2 प्रतिशत से 2022 में कम होकर 3.4 प्रतिशत रहा और 2023 में

2.9 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक ने जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट में तीव्र और दीर्घकालिक मंदी का संकेत दिया है, वैश्विक वृद्धि दर केवल छः माह पहले 3.0 प्रतिशत प्रत्याशित की गई थी अब 2023 में गिरकर 1.7 प्रतिशत पर आ गई है।

5. वित्त वर्ष 2023-24 का बजट विद्यमान भू-राजनैतिक तनाव के बीच पेश किया जा रहा है, इस समय प्रमुख देशों में आर्थिक मंदी का भय छाया हुआ है, अन्य के साथ-साथ चीन में कोविड-19 का पुनः उभरना और इसका फैलना जारी है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह उल्लेखनीय है कि चूंकि, कोविड-19 महामारी के आने से राजकोषीय नीति वर्धित विकास/ महामारी को नियंत्रित करने के लिए कल्याण से संबंधित व्यय और लोगों को (वित्त वर्ष 2021-22) सहायता प्रदान करने की रही है, इसके बाद पूंजीगत व्यय (वित्त वर्ष 2022-23) को प्रोत्साहित करके बहाली को सुदृढ़ करने की रही। इसमें अब वृद्धि और विकास की गति सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वैश्विक प्रतिवात के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को और अधिक समुत्थानशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 9.2 प्रतिशत था जो घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 6.7 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा, सं.अ. 2022-23 में राजकोषीय घाटा घटकर 6.4 प्रतिशत रहने की संभावना और ब. अ. 2023-24 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत पर रहना अनुमानित है।

6. सरकार, कर अनुपालन सुगम बनाने और कर अपवंचन को बंद करने, वित्त वर्ष 2023-24 में और उसके बाद बजटेतर संसाधनों को जारी न रखने और अग्र सक्रिय राजकोषीय प्रकटन के साथ-साथ सार्वजनिक व्यय में उच्च दक्षता के लिए व्यय के यौक्तिकीकरण के निमित व्यवसाय करना आसान बनाने के अपने प्रयास जारी रखेगी।

7. उपर्युक्त के आलोक में, यह आवश्यक है कि उभरती चुनौतियों का सामना कारगर रूप से करने के लिए सरकार को अपेक्षित राजकोषीय लचतीलापन बनाए रखना है। इसके अलावा, अभूतपूर्व वैश्विक उथल-पुथल और प्रतिवात के बीच मध्यावधिक अनुमान भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। अतः वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय अनुमानों को इस विवरण के साथ नहीं दिया जा रहा है।

8. तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता की तर्ज पर वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने के लिए सरकार राजकोषीय समेकन के सुस्पष्ट मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। सरकार व्यापक आधार पर आर्थिक वृद्धि हासिल करने और उसे कायम रखने के अपने प्रयास जारी रखेगी और राजकोषीय औचित्य के मार्ग का अनुसरण करते समय लोगों के जीवनों/ आजीविकाओं का संरक्षण करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।